



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1943 (श10)
(सं0 पटना 316) पटना, वृहस्पतिवार, 29 अप्रील 2021

सं0 पि0वर्ग/स्था0-15-111/2013-24
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-19 मार्च 2021

विषय:-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा-निर्देशों की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य के 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। उक्त सभी आवासीय विद्यालयों में कक्षा-6 से कक्षा 10+2 की कक्षाएँ संचालित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को आवासन की सुविधा दी जा रही है। आवासित छात्राओं के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ भवन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यकर एवं रुचिकर भोजन एवं दवा आदि की व्यवस्था हेतु विभाग सतत प्रयासरत है।

3. विभागीय पत्रांक-1573, दिनांक-01.09.2014 द्वारा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विगत वर्षों में महँगाई दर में वृद्धि हुई है। महँगाई दर में वृद्धि के मद्देनजर पूर्व निर्धारित दर में पुनः संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियाँ एवं सेवायें गुणवत्तापूर्ण ढंग से छात्राओं

को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिमार्जित एवं अद्यतन रूप से समेकित निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा-निर्देशों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. भोजनादि मद में प्रस्तावित वृद्धि के आलोक में आवासीय विद्यालयों के छात्राओं के लिए मेन्सू **परिशिष्ट-1** के रूप में संलग्न है।

6. विद्यालय के छात्राओं के पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री से संबंधित विवरणी एवं दिशा-निर्देश **परिशिष्ट-2, 3, 4** के रूप में संलग्न है।

7. उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में राशि का व्यय भार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विपत्र कोड संख्या-11-2225032770010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

10. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

**राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सचिव।**

परिशिष्ट-1
आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण

Ø0	okj	l'cg e: ihOVh0 d: igy	l'cg dk uk'rk	nkigj dk Hkktu
1	2	3	4	5
1	सोमवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
2	मंगलवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल-50 ग्राम+काबुली चना-50 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
3	बुधवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
4	गुरुवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+अण्डा उबला-1)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
5	शुक्रवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल, बेसन की सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, बेसन-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
6	शनिवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल-50 ग्राम+काबुली चना-50 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
7	रविवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+अण्डा उबला-1)	चावल, दाल, चिकेन/मटन/मछली/पनीर एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, चिकेन/मटन/मछली/पनीर/सब्जी-100 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)

Ø0	okj	l';k dk uk'rk	jkf= dk Hkktu
1	2	6	7
1	सोमवार	समोसा-2 एवं चटनी	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर (आटा-100 ग्राम+सब्जी-150 ग्राम+एवं दूध-100 ग्राम+चावल-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
2	मंगलवार	मौसमी फल(150 ग्राम)	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (आटा-100 ग्राम+सब्जी-150 ग्राम+एवं सलाद-50 ग्राम)
3	बुधवार	चाकलेट+बिस्कुट-2 पीस	रोटी, अण्डा करी/सब्जी(आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर(आटा-100 ग्राम+अण्डा-1/सब्जी-150 ग्राम+एवं दूध-100 ग्राम+चावल-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
4	गुरुवार	समोसा-2 एवं चटनी	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
5	शुक्रवार	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्राम+पनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग्राम एवं दूध-100 ग्राम+सेवई-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
6	शनिवार	चाकलेट+बिस्कुट-2 पीस	खिचड़ी, चोखा एवं पापड़ (चावल-100 ग्राम, दाल-50 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं पापड़-1 मध्यम साईज का)
7	रविवार	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्राम+पनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग्राम एवं दूध-100 ग्राम+सेवई-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)

परिशिष्ट-2

vkoklh; fo|ky;k dh Nk=kvk; gr| ik'kkd ,o vU; vko';d lkexh lc/kh rkfydk

क्र.सं.	मद का नाम	स्वीकृत प्रावधान
1	2	3
1	फ्रॉक/कुर्ता/साड़ी	5 प्रति वर्ष
2	सलवार/पेटीकोट	5 प्रति वर्ष
3	ब्लाउज	5 प्रति वर्ष
4	नाईटी/नाईट शूट	2 प्रति वर्ष
5	समीज	2 प्रति वर्ष
6	अन्तः वस्त्र	6 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8	तौलिया	4 प्रति वर्ष
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10	जूता-मोजा/सैन्डल	2 प्रति वर्ष
11	सैनिटरी पैड	12 पीस के 12 पॉकेट प्रति वर्ष
12	मच्छरदानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्तन, फर्नीचर आदि	2 प्रति वर्ष

परिशिष्ट- 3

क्र.सं.	मद का नाम	स्वीकृत n]
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति माह	₹ 2300/-
2	तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति वर्ष	₹ 7500/-
3	पठन-पाठन सामग्री प्रति छात्रा (वार्षिक व्यय) (वर्ग 6 से 12 तक)	₹ 2150/-
4	बेड सीट, चादर, तकिया, दरी (प्रति छात्रा प्रति वर्ष)	₹ 1200/-
5	1. खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) 2. पुस्तकालय व्यय (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) 3. दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 2,40,000/- ₹ 2,88,000/- ₹ 4,80,000/-
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण (वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा)	₹ 1240/-
7	कौशल विकास (वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा)	₹ 1240/-
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 29,820/-
9	डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	(1) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर स्थानीय पेट्रोल पंप से (2) डीजल की मात्रा इंजन की क्षमता एवं MVI द्वारा निर्धारित मापदंड पर
10	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 4,07,800/-
11	बिहार परिभ्रमण	मुख्यमंत्री बिहार भ्रमण योजना ₹80,000/- प्रतिवर्ष प्रति 50 छात्रा।
12	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के स्तर से आउट सोर्सिंग के आधार पर।

नोट:- रसोईगृह एवं भोजनगृह में कीड़ा मारने वाला मशीन (Insect Killer Machine), सैनेटरी नैपकीन, वेडिंग मशीन, आरओ सिस्टम मशीन (R.O Machine) एवं सी0सी0 कैमरा उप विकास आयुक्त के स्तर पर गठित क्रय समिति के द्वारा निर्धारित मानक, दर के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। राशि का व्यय सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा

परिशिष्ट-4

सामग्री एवं पूर्तियाँ के लिए क्रय प्रक्रिया, पद्धति में गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

क्र०	मद का नाम	अभियुक्ति
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्रा प्रति माह (वर्ग-6 से 12 तक)	i. निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। ii. विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोग्राफी के सत्यापन के उपरान्त संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा। iii. मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने/विशेष परिस्थिति में मेस संचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक/प्रधानाध्यापक की होगी।
2	वस्त्र, तेल, साबुन, सर्फ, दवा, प्रति छात्रा प्रति वर्ष (वर्ग 6-12 तक)	<u>वस्त्र</u> i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को वस्त्रादि मद में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। ii. विद्यालय पोशाक में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा। iii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय में पोशाक क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। <u>तेल, साबुन, सर्फ,</u> i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। <u>दवा</u> i. संबंधित जिला के जिला असेनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सक को रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। चिकित्सक के परामर्श के आलोक में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी/दर के आलोक में किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी।
3	पठन पाठन सामग्री प्रति छात्रा वार्षिक (वर्ग-6 से 12 तक)	i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। ii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय बाजार में पठन-पाठन सामग्री की उपलब्धता के आलोक में पठन-पाठन सामग्री क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
4	बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट हेतु	i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते किया जाएगा।

क्र०	मद का नाम	अभियुक्ति
1	2	3
		ii. विद्यालय में बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा। iii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
5	खेलकूद सामग्री / प्रतियोगिता / पुस्तकालय व्यय / दैनिक समाचार पत्र / पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	खेल कूद सामग्री / प्रतियोगिता i. खेल कूद सामग्रियों की अनुमान्यता के आलोक में छात्रा की गठित समिति के मांग के अनुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा अध्याचना जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध राशि के अनुरूप खेल-कूद सामग्रियों का क्रय किया जायेगा। पुस्तकालय ii. छात्राओं एवं शिक्षकों की अध्याचना के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। दैनिक समाचार पत्र / पत्रिका iii. दैनिक समाचार पत्र / पत्रिका पर व्यय होने वाले विपत्रों को प्रति हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक के द्वारा विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
6	व्यवसायिक प्रशिक्षण (वर्ग-6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा चयनित एजेंसी एवं दर के आलोक में व्यवसायिक प्रशिक्षण / कौशल विकास के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवंटित एजेंसी के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
7	कौशल विकास (कम्प्यूटर प्रशिक्षण) (वर्ग-6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थान का चयन एवं दर का निर्धारण किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय क्रय समिति के स्तर से अनुशंसित संस्थान के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, वागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	छात्राओं एवं शिक्षकों की अध्याचना के आलोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, वागवानी से संबंधित प्रस्ताव पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जिसके आलोक में व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा इस सदर्थ में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किए जाएंगे।
7	डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	प्रधानाध्यापक की अध्याचना के आलोक में डीजल पर व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
8	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के आधार पर सफाई के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के आलोक में राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

क्र०	मद का नाम	अभियुक्ति
1	2	3
9	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार के नियमों के अधीन आउटसोर्सिंग के आधार पर एजेन्सी का चयन कर आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

पंकज कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 316-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>